"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 180] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 17 जुलाई 2012—आषाढ़ 26, शक 1934

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 17 जुलाई, 2012 (आषाढ़ 26, 1934)

क्रमांक-9978/वि. स./विधान/2012.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 12 सन् 2012), जो दिनांक 17 जुलाई, 2012 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 12 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2012

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

उद्देशिका का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की उद्देशिका को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"लोकतांत्रिक साधन और जनता की संस्था के रूप में, स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक सदस्यों का नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक सहभागिता और स्वशासी क्रियाकरण के सिद्धांतों पर आधारित सहकारी संस्थाओं को संगठित और विकसित करने हेतु अधिनियम."

धारा 2 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

(एक) खण्ड (म-एक) में, शब्द "रजिस्ट्रार" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
"राज्य निर्वाचन आयोग"

(दो) खण्ड (ख-क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—
"(ख-ख) "प्राधिकृत व्यक्ति" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा उसकी ओर से कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया हो;"

(तीन) खण्ड (य) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
"(य) "सहकारी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत अथवा रजिस्ट्रीकृत समझी जाने वाली सहकारी सोसाइटी;"

(चार) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
"(घ) "बोर्ड" से अभिप्रेत है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरर्स अथवा सहकारी सोसाइटी का शासी निकाय जो चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जिसे सहकारी सोसाइटी के क्रियाकलापों का निदेशन एवं नियंत्रण का भार सौंपा गया हो;"

(पांच) खण्ड (न-एक) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए :—
(न-एक) "अधिकारी" से अभिप्रेत है, व्यक्ति जिसे सौंपे गये कृत्यों के निर्वहन के लिए सोसाइटी द्वारा नियुक्त किया गया हो, तथा सहकारी सोसाइटी द्वारा जिसमें कोई अधिकारी जिसकी पदस्थापना प्रतिनियुक्ति पर हुई है, भी सम्मिलित है.

(छः) खण्ड (न-एक) के पश्चात् निम्नानुसार खण्ड (न-एक क) अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

(न-एक क) "पदाधिकारी" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, सचिव या कोषाध्यक्ष, और जिसमें कोई भी अन्य व्यक्ति, जो सहकारी सोसाइटी के बोर्ड के द्वारा निर्वाचित किया जाता हो, भी सम्मिलित है;

(सात) खण्ड (खख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएं, अर्थात् :—

"(गग) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(घघ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ङङ) "अधिकरण" से अभिप्रेत है, धारा 77 के अधीन गठित छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण;

(चच) "बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई सहकारी सोसाइटी जो बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 (क्र. 39 सन् 2002) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, या रजिस्ट्रीकृत समझी जाती हो;

(छछ) "राज्य स्तरीय सहकारी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटी जिसके कार्यक्षेत्र का विस्तार सम्पूर्ण राज्य में हो;

(जज) "प्रशासक" से अभिप्रेत है, व्यक्ति जिसे सहकारी सोसाइटी के बोर्ड के निलंबन अथवा अधिक्रमण के अधीन रखे जाने की कालावधि के दौरान, सहकारी सोसाइटी के क्रियाकलापों का प्रबंधन करने के लिए ऐसे निबंधन एवं शर्तों के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किया गया हो;

(झझ) "कार्यकारी संचालक" से अभिप्रेत है, बोर्ड के निर्वाचित और सहयोजित संचालक को छोड़कर ऐसे संचालक जो संचालक मण्डल का प्रतिनिधित्व करते हों, जैसे प्रबंधक संचालक, अतिरिक्त प्रबंध संचालक, संचालक वित्त, संचालक विपणन और अन्य कार्यकारी अधिकारी इत्यादि, जिन पर कार्यकारी उत्तरदायित्व हो;

(ञञ) "राज्य निर्वाचन आयोग" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के में निर्दिष्ट प्राधिकारी या निकाय, जिसका प्रयोजन सभी सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन का संचालन, निर्वाचक नामावली तैयार करने पर अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण;

इस अधिनियम में जहां भी शब्द "समिति" आया हो, उसे शब्द "बोर्ड" से प्रतिस्थापित किया जाये.

नवीन धारा 19-ङ का अंतःस्थापन.

मूल अधिनियम की धारा 19-घ के पश्चात् निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :—

"19-ङ **"सदस्यों आदि की शिक्षा"**—प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपने बजट में, सदस्यों जिसमें पदाधिकारी, अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी सम्मिलित होंगे, की शिक्षा तथा प्रशिक्षण पर व्यय के लिए प्रावधान का समावेश करेगी."

धारा 32 का संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(4) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, अपने रजिस्टर्ड पते पर दैनिक कारोबार क्रियान्वित करेगी तथा अपने रजिस्टर्ड पते पर सहकारी सोसाइटी से संबंधित अभिलेख संधारित करेगी और यदि सहकारी सोसाइटी—

(एक) रजिस्ट्रार को परिवर्तित पते की संसूचना नहीं देती है; या

(दो) उसके रजिस्टर्ड पते पर कारोबार नहीं करती है; या

(तीन) उसके रजिस्टर्ड पते पर अभिलेख संधारित नहीं करती है.

तो रजिस्ट्रार जिम्मेदार अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् पचास हजार रुपये से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा."

धारा 48 का संशोधन.

6. मूल अधिनियम की धारा 48 में,—

(एक) उप-धारा (3) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(3) सहकारी सोसाइटी के बोर्ड में उनके सदस्यों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के स्थान का आरक्षण उनकी सदस्यता के अनुपात में किया जाएगा :

परंतु यह कि ऐसा आरक्षण बोर्ड की कुल सदस्यता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परंतु यह और कि एक स्थान (सीट) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रहेगी."

(दो) उप-धारा (7) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(7) (क) सदस्य जो बिना किसी उचित कारण के लगातार तीन सभाओं में जानबूझकर अपने आपको अनुपस्थित रखता है और जो उसको सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान के पश्चात् प्रमाणित हो गया है, बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने से परिविरत हो जायेगा और सभी पारिणामिक लाभों से वंचित हो जायेगा."

(ख) किसी सहकारी सोसाइटी में, कोई भी सदस्य, बोर्ड के सदस्य के रूप में, प्रत्यायुक्त या प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हित नहीं होगा और न ही ऐसी सहकारी सोसाइटी के प्रत्यायुक्त या प्रतिनिधि को, बोर्ड के किसी निर्वाचन में मत देने का अधिकार होगा, जब तक कि वह ऐसी सहकारी सोसाइटी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के न्यूनतम स्तर जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा सभी प्रकार की सोसाइटियों के लिए इस संबंध में समय-समय पर विहित किया जाए, का उपभोग नहीं कर लिया हो."

(तीन) उप-धारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारायें जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

"(8) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये नियमों और सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या, इक्कीस से अधिक नहीं होंगी, जिनमें से दो महिलायें होंगी :

परन्तु इस धारा की उप-धारा (9) के उपबंधों के अधीन नियुक्त सहयोजित विशेषज्ञ सदस्य एवं पदेन सदस्य और धारा 52 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अधीन नियुक्त शासकीय नामिती और कार्यकारी संचालकों को बोर्ड के ऐसे इक्कीस सदस्यों की गणना के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा.

(9) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गये नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड उन व्यक्तियों को बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित करेगा जिन्हें ऐसी सहकारी सोसाइटी के सदस्य के रूप में बैंकिंग, प्रबंधन, वित्त के क्षेत्र में अनुभव हो अथवा ऐसे अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता हो जो ऐसी सहकारी सोसाइटी द्वारा

किए जा रहे उद्देश्यों और क्रियाकलाप से संबंधित हो :

परंतु ऐसे सहयोजित सदस्यों की संख्या इस धारा की उप-धारा (8) में विनिर्दिष्ट इक्कीस सदस्यों के अतिरिक्त दो से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि ऐसे सहयोजित सदस्य सहकारी सोसाइटी के किसी निर्वाचन में ऐसे सदस्य की हैसियत से मतदान करने के हकदार नहीं होंगे और न ही बोर्ड के पदाधिकारियों के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र होंगे."

7. मूल अधिनियम की धारा 49 में,— धारा 49 का संशोधन.

(एक) उप-धारा (1) में, शब्द "पूर्व तीन मास" के स्थान पर, शब्द "छ: माह की कालावधि" प्रतिस्थापित किया जाए.

(दो) उप-धारा (1) में, खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—
"(छ) आगामी वित्तीय वर्ष हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति के लिए."

(तीन) उप-धारा (7-क) (एक) के प्रथम परंतुक के पश्चात् द्वितीय परंतुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि यदि बोर्ड का कार्यकाल मूल कार्यकाल के आधे से कम है, तो बोर्ड, जिस वर्ग में आकस्मिक रिक्तियां उद्भूत हुई हैं, के संबंध में उसी वर्ग के सदस्य में से नामिती द्वारा बोर्ड की आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति कर सकेगा."

(चार) उप-धारा (8) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
"(8) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड के कार्यकाल के अवसान के पूर्व बोर्ड का निर्वाचन कराया जायेगा. यदि बोर्ड के कार्यकाल के अवसान के पूर्व निर्वाचन नहीं कराये जाते हैं, या सहकारी सोसाइटी का बोर्ड किसी न्यायालय के आदेश के कारण या अन्यथा कार्य करने से परिविरत हो जाए, तो बोर्ड के सभी सदस्यों द्वारा अपने पद रिक्त किये गये समझे जाएंगे और बोर्ड की शक्तियां रजिस्ट्रार में निहित समझी जाएंगी और रजिस्ट्रार, छ: मास के भीतर तथा सहकारी बैंक के मामले में बारह मास के भीतर निर्वाचन करवायेगा :

परंतु रजिस्ट्रार इस उप-धारा के अधीन उसमें निहित बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी ऐसे प्राधिकृत किए जाने की तारीख से ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा."

8. मूल अधिनियम की धारा 50-क में, उप-धारा (1-क) एवं (1-ख) का लोप किया जाए. धारा 50-क का संशोधन.

9. मूल अधिनियम की धारा 50-क के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :— नवीन धारा 50-ख का अंत:स्थापन.

"50-ख. **राज्य निर्वाचन आयोग.—**

(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग को सहकारी सोसाइटी का निर्वाचन कराने एवं निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए प्राधिकृत करेगी.

(2) राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को ऐसी संख्या में नियुक्त करेगा, जैसा कि ऐसी सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन के संबंध में आवश्यक हो.

(3) इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों, जैसा कि उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट है, ऐसी शक्तियां और कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का निर्धारण करेगा, जैसा कि ऐसे निर्वाचन के संचालन के लिए आवश्यक समझा जाय.

(4) राज्य सरकार सभी सहकारी सोसाइटियों का निर्वाचन कराने के लिए, निर्वाचक नामावली तैयार कराने, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से नियम बनायेगी.

(5) सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन की प्रक्रिया और रिटर्निंग अधिकारी की शक्तियां ऐसी होंगी जैसा कि इस प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाए.

(6) आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्याशियों और अन्य सभी संबंधित लोगों के लिए जो निर्वाचन की प्रक्रिया में संलग्न हैं, के द्वारा पालन किये जाने हेतु आचार संहिता अधिसूचित करेगा.

(7) आयोग को निर्वाचन में अन्य अधिकारियों की सेवाओं की अध्यपेक्षा के लिए भी सशक्त किया जाएगा और ऐसे अध्यपेक्षित अधिकारी निर्वाचन के दौरान पूर्णरूप से आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे.

(8) (क) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष, सभापति और कार्यकारी संचालक के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वह राज्य निर्वाचन आयोग को निर्वाचन के संबंध में संसूचित करे और कार्यकारी संचालक यह सुनिश्चित करेगा कि निर्वाचन कराने हेतु आयोग को समय पर निवेदन कर लिया गया है, जिससे कि आयोग निर्वाचन करा सके;

(ख) उप-धारा (3) (क) के अधीन यथा उल्लेखित अनुरोध प्राप्त होने पर, आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि निर्वाचन, विद्यमान बोर्ड की अवधि के अवसान के पूर्व संचालित कर लिया जाये;

(ग) किसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड का यह सुनिश्चित करने का कर्त्तव्य होगा कि समस्त जानकारी, पुस्तकें और अभिलेख, जिनकी आयोग निर्वाचन के प्रयोजन के लिए उससे अपेक्षा करे, अद्यतन है और आयोग या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को समय-समय पर उपलब्ध करवा दिये गये हैं;

(घ) सहकारी सोसाइटी का बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि सहकारी सोसाइटी द्वारा आयोग को ऐसी समस्त सहायता उपलब्ध कराए, जो कि निर्वाचन के संचालन के लिए इस संबंध में उसके द्वारा अपेक्षा की जाए;

(9) किसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड का निर्वाचन करवाने के लिए उपगत समस्त व्यय, संबंधित सहकारी सोसाइटी द्वारा वहन किये जायेंगे.

(10) आयोग, बोर्ड या उसके सदस्यों को ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के संचालन के लिए युक्तियुक्त समझे जाएं एवं आयोग द्वारा इस धारा के अधीन जारी किए गए निर्देश उन पर बंधनकारी होंगे."

52-ख का विलोपन. 10. मूल अधिनियम की धारा 52-ख का लोप किया जाए.

11. मूल अधिनियम की धारा 53 में,— धारा 53 का संशोधन.

(एक) उप-धारा (1) के खण्ड (ग) में शब्द "प्रथमतः दो वर्ष" के स्थान, पर शब्द "छः माह" प्रतिस्थापित किया जाए.

(दो) उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के तृतीय परंतुक में अंक एवं शब्द "5 वर्ष" के स्थान, पर अंक एवं शब्द "1 वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए.

(तीन) उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(3) परन्तु ऐसा आदेश छः मास से अधिक के लिए तथा सहकारी बैंक के मामले में एक वर्ष से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा."

(चार) उप-धारा (13) का लोप किया जाए.

(पांच) उप-धारा (13) के पश्चात्, निम्नानुसार उप-धारा जोड़ी जाए, अर्थात् :—

"(14) जहां रजिस्ट्रार की राय में :—

(एक) सहकारी सोसायटी का बोर्ड लगातार चूक करता हो, अथवा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में उपेक्षा करता हो और ऐसा कृत्य किया हो जो सहकारी सोसायटी या उसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल हो; या

(दो) जहां सोसाइटी के गठन या बोर्ड के कार्य में ऐसा गतिरोध पैदा हो गया हो;

(तीन) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कराने में चूक हुई हो ऐसे बोर्ड को अधिक्रमण या निलंबन के अधीन रखा जा सकेगा, और रजिस्ट्रार प्रशासक नियुक्त करने की कार्यवाही करेगा:

परन्तु यह और कि, किसी ऐसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड को अधिक्रमित नहीं किया जायेगा या निलंबन के अधीन नहीं रखा जाएगा जहां शासन की अंशधारिता या ऋण या वित्तीय सहायता या शासन द्वारा कोई प्रत्याभूति नहीं दी गई हो."

12. मूल अधिनियम की धारा 56 में,— धारा 56 का संशोधन.

(एक) उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1-क) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर रजिस्ट्रार अथवा उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी व्यक्ति को विवरणी फाइल करेगी जो निम्नलिखित विषयों से संबंधित होंगी, अर्थात् :—

(एक) सहकारी सोसाइटी के क्रियाकलापों का वार्षिक प्रतिवेदन;

(दो) सहकारी सोसाइटी के लेखों का संपरिक्षित विवरण;

(तीन) सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अधिशेष व्ययन के लिए योजना;

(चार) सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में संशोधन की सूची, यदि कोई हो तो;

(च:) सहकारी सोसाइटी के साधारण सभा की बैठक का दिनांक तथा निर्वाचन शोध्य (ड्यू) होने पर, उसके आयोजन संबंधी घोषणा;

(छ:) इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी."

(दो) उप-धारा (3) में, शब्द "पांच हजार" के स्थान, पर शब्द "पचास हजार" प्रतिस्थापित किया जाए.

नवीन धारा 57-ख का अंत:स्थापन.

13. मूल अधिनियम के अध्याय पांच एवं धारा 57-क के पश्चात् निम्नलिखित नया अध्याय पांच-क एवं धारा 57-ख अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"अध्याय पांच-क

अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटियों के संबंध में प्रावधान

57-ख. **अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटियों का प्रबंधन.—**

(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी की उपविधियों या उसके अधीन जारी आदेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के प्रावधानों का अध्यारोही प्रभाव होगा.

(2) इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(एक) "सम्बद्ध सहकारी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, ऐसी सहकारी सोसाइटी जिसमें अन्य सहकारी सोसाइटी या सहकारिता सदस्य हैं;

(दो) "सहकारिता" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 (क्र. 2 सन् 2000) की धारा 2(च) के अधीन यथा परिभाषित सहकारिता;

(तीन) "राष्ट्रीय बैंक" से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक;

(चार) "सहायक सहकारिता" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 (क्र. 2 सन् 2000) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारिता, जिसमें अन्य सहकारिता या सहकारी सोसाइटी सदस्य है;

(पांच) "अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सहकारी सोसाइटी" में सम्मिलित है राज्य सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी.

(3) (क) एक अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी, सहायक सहकारिता के सदस्य बनने हेतु पात्र होगी.

(ख) छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 (क्र. 2 सन् 2000) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारिता इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सम्बद्ध सहकारी सोसाइटी की सदस्य हो सकती है.

(4) एक अल्पकालीन साख संरचना सहकारी सोसाइटी एक सम्बद्ध सहकारी सोसाइटी या एक सहायक सहकारिता की सदस्य अपनी इच्छानुसार बन सकती है या ऐसी सहकारी सोसाइटी या सहकारिता की सदस्यता से अलग हो सकती है.

(5) (क) एक अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी की उपविधि या उपविधियों में कोई संशोधन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 30 दिवस के भीतर रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा.

(ख) यदि, रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाये कि प्रस्तावित उपविधियों या उपविधियों में संशोधन अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के विरुद्ध हैं तो वह आवेदन की प्राप्ति के दिनांक से 30 दिवस के भीतर उस पर सम्यक् रूप से कारणों को अभिलिखित करते हुए उसे निरस्त करेगा.

(6) (क) प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के प्रत्येक अमानतदार न्यूनतम अमानत राशि एवं अवधि संबंधी मानदण्ड, जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये, के अध्यधीन रहते हुए, सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अंशपूंजी के अंशदान करने के पश्चात् धारा 19 की उप-धारा (1) के अंतर्गत सहकारी सोसाइटी के सदस्य बनने हेतु पात्र होंगे एवं उन्हें एक सदस्य के रूप में पूर्ण मताधिकार होगा.

(ख) धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति या उधारकर्ता समूह को प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी का सदस्य बनने का अधिकार होगा.

(ग) धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन सदस्य के रूप में स्वीकृत प्रत्येक समूह जमाकर्ता या उधारकर्ता समूह को समूह द्वारा नामित एक प्रतिनिधि के माध्यम से मतदान का अधिकार होगा.

(7) अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी सभी वित्तीय एवं आंतरिक प्रशासनिक मामलों, विशेषत: निम्नांकित क्षेत्रों में स्वशासी होगी :—

(एक) रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप और उसके अध्यधीन अमानतों एवं ऋणों पर ब्याज दर,

(दो) उधार ग्रहण एवं विनियोग,

(तीन) ऋण नीतियों एवं व्यक्तिगत ऋण निर्णयों,

(चार) कार्मिक नीति, स्टाफिंग, भर्ती, कर्मचारियों की पदस्थापना और पारिश्रमिक, और

(पांच) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं अंकेक्षण के लिए प्रतिकर.

(8) किसी भी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी की अंशपूंजी में राज्य सरकार का अभिदाय 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और राज्य सरकार अथवा ऐसी सहकारी सोसाइटी अपनी इच्छानुसार राज्य सरकार का अभिदाय कम कर सकती है.

(9) (क) राज्य सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक की बोर्ड में राज्य सरकार का केवल एक नामिती होगा, यदि राज्य सरकार ने उसकी अंश

पूंजी में अभिदाय किया हो:

परन्तु यह कि राज्य सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक की बोर्ड में राज्य सरकार के नामिती न तो निर्वाचन में भाग लेंगे और न ही ऐसे निर्वाचन में मताधिकार होगा.

(ख) (एक) प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की बोर्ड में राज्य सरकार का केवल एक नामिती होगा यदि बोर्ड की अंशपूंजी में राज्य सरकार ने अभिदाय किया हो:

परन्तु प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की बोर्ड में राज्य सरकार के नामिती न तो निर्वाचन में भाग लेंगे और न ही ऐसे निर्वाचन में मतदान का अधिकार होगा.

(दो) किसी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी को, इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत अन्य सहकारी सोसाइटी अथवा छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 (क्र. 2 सन् 2000) के अधीन रजिस्ट्रीकृत अन्य सहकारिता के साथ संव्यवहार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी.

(10) किसी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी को किसी भी स्तर की संरचना में प्रवेश करने तथा उससे बाहर होने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, और इसके प्रचालन के लिए भौगोलिक सीमाओं का आज्ञापक निर्बन्धन नहीं होगा.

(11) कोई अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी, रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए, रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी भी बैंक में अपना फंड विनियोजित अथवा निक्षेप कर सकेगी तथा यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा निवेश अथवा निक्षेप उसी संबद्ध सहकारी सोसाइटी में करे जिससे वह संबद्ध है.

(12) कोई अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी, रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी बैंक से ऋण ले सकती है तथा राष्ट्रीय बैंक से पुनर्वित्त ले सकती है तथा यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा ऋण अथवा पुनर्वित्त उसी संबद्ध सहकारी सोसाइटी से ले जिससे वह संबद्ध है.'

(13) कोई प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी राष्ट्रीय बैंक की सलाह से रजिस्ट्रार द्वारा बनाये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभांश का भुगतान कर सकती है.

(14) कोई व्यक्ति अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी की बोर्ड में निर्वाचित, नामांकित या सहयोजित या एक सदस्य के रूप में निरंतर रहने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि वह :—

(एक) ऐसा व्यक्ति है जो केन्द्रीय सहकारी बैंक या राज्य सहकारी बैंक की बोर्ड में प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है, यदि ऐसी सहकारी सोसाइटी जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है वह ऐसे बैंक के भुगतान में 90 दिनों से अधिक अवधि का चूक करती हो ;

(दो) ऐसा व्यक्ति है जो प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के शोध्यों के संदाय में चूक करता है या जो केंद्रीय सहकारी बैंक या राज्य सहकारी बैंक की बोर्ड में प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व

करता है, यदि ऐसी सहकारी सोसाइटी जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है ऐसे बैंक के भुगतान में एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए चूक करती है, जब तक चूक मुक्त नहीं हो जाती.

(तीन) ऐसा व्यक्ति है, जो ऐसी सहकारी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी बोर्ड अतिष्ठित हो गई है.

(15) (क) राज्य सहकारी बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों की बोर्ड रिजर्व बैंक के पूर्व परामर्श के बिना अतिष्ठित नहीं की जाएगी.

(ख) किसी प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की बोर्ड निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर ही अतिष्ठित की जाएगी, यदि :—

(एक) कोई सहकारी सोसाइटी लगातार तीन वर्षों तक हानि उपगत करती हो;

(दो) गंभीर वित्तीय अनियमितताएं जो इस प्रयोजन हेतु हुई जांच में प्रमाणित पायी गयी हों;

(तीन) धोखाधड़ी/कपट पाया गया हो;

(चार) लगातार तीन बैठकों में गणपूर्ति की कमी रही हो.

(16) (क) राज्य निर्वाचन आयोग किसी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी का निर्वाचन वर्तमान बोर्ड के कार्यकाल के अवसान के पूर्व कराएगा.

(ख) राज्य निर्वाचन आयोग किसी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी का निर्वाचन अधिक्रमण की तारीख से, प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के मामले में छ: माह तथा राज्य सहकारी बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक के मामले में बारह माह के भीतर कराएगा:

परंतु यह कि परिस्थितियां नियंत्रण से परे होने पर, शासन अधिक्रमण की तारीख से छ: माह से अनधिक अवधि के भीतर ऐसे निर्वाचन कराने की अनुमति प्रदान कर सकेगा.

(ग) प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की बोर्ड जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत अधिक्रमित किया गया है, का कोई सदस्य अधिक्रमण की तारीख से तीन वर्षों की कालावधि के लिए पुन: निर्वाचन में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यह कि जहां धारा 15 (ख) (चार) में अंतर्विष्ट आधारों पर अधिक्रमण किया जा रहा है, वहां गणपूर्ति का अभाव ऐसे सदस्य की अनुपस्थिति के कारण नहीं है.

(17) राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंकों की बोर्ड के सदस्य तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो कि रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्डें की पूर्ति नहीं करते हैं, को रजिस्ट्रार अथवा नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, के द्वारा राष्ट्रीय बैंक अथवा रिजर्व बैंक की सिफारिश पर हटाया जायेगा.

(18) (क) राज्य सहकारी बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों की बोर्ड में ऐसे क्षेत्रों में जैसा कि रिजर्व बैंक द्वारा नियत किया जाए, विशिष्ट ज्ञान या अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों की संख्या दो से अधिक न हो तथा ऐसे क्षेत्रों में जैसा कि रिजर्व बैंक द्वारा नियत किया जाए रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक की राय में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले निर्वाचित संचालकों की ऐसी संख्या न होने की दशा में राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंकों, यथास्थिति, की बोर्ड, ऐसे क्षेत्र में पेशेवर (वृत्तिक व्यक्ति) ऐसी संख्या में सहयोजित करेगी और ऐसे सहयोजित पेशेवरों को निर्वाचन को छोड़कर पूर्ण मताधिकार होगा चाहे, ऐसा वृत्तिक (पेशेवर) बोर्ड का सदस्य हो अथवा नहीं.

(ख) यदि किसी व्यक्ति को रिजर्व बैंक की राय में, रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित अपेक्षित ज्ञान अथवा अनुभव के बिना इस उप-धारा के खण्ड (क) के अधीन बोर्ड में सदस्य के रूप में सहयोजित किया गया है, तो उसे रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक द्वारा दी गई सलाह पर, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् पद से हटाया जायेगा.

(19) राज्य सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक, यथास्थिति, की बोर्ड के सदस्यों के द्वारा राज्य सहकारी बैंक तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी, जो तीन व्यक्तियों से अनधिक के नामों के पैनल में से होगा जो रिजर्व बैंक द्वारा नियत मानदण्ड के अनुसार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पद धारण करने हेतु पात्र हो और उपर्युक्त पैनल की अनुशंसा चयन बोर्ड द्वारा की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे जिसमें से सभी राज्य सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक, जैसी भी स्थिति हो, के सदस्यों में से होंगे—

(एक) बोर्ड में राज्य शासन का नामिती.

(दो) बोर्ड में राष्ट्रीय बैंक का नामिती.

(तीन) बोर्ड का एक अन्य सदस्य जो या तो निर्वाचित हो या सहयोजित हो.

(20) कोई भी प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी या इसका परिसंघ या संघ [उनके अलावा जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के अंतर्गत बैंक के रूप में कार्य करने हेतु अनुज्ञप्त है] "बैंक" शब्द या बैंक शब्द के किसी अन्य व्युत्पन्न शब्द के साथ रजिस्ट्रीकृत नहीं होंगे तथा अपने रजिस्ट्रीकृत नाम या अपने नाम के भाग के रूप में इसका प्रयोग नहीं करेंगे:

परंतु यह कि कोई प्राथमिक कृषि सहकारी साख सोसाइटी या इसका परिसंघ या संघ [उन संस्थाओं के अलावा जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के अंतर्गत बैंक के रूप में अनुज्ञप्त है] इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व "बैंक" शब्द का प्रयोग करते हुए रजिस्ट्रीकृत है, शब्द "बैंक" अथवा इसके व्युत्पन्नों सहित, इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से तीन माह के भीतर विलोपित किये जायेंगे:

परंतु यह और कि जहां ऐसी कोई सहकारी सोसाइटी उपरोक्त प्रावधानों का उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर अनुपालन करने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार ऐसी सहकारी सोसाइटी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उसके परिसमापन का आदेश देगा.

(21) राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक की वित्तीय लेखा पुस्तिकाओं का, यथास्थिति, रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित ऐसे संपरीक्षकों के पैनल में से संपरीक्षक या संपरीक्षक फर्म्स द्वारा संपरीक्षा एवं सत्यापन किया जाएगा.

(22) जहां रिजर्व बैंक यह आवश्यक समझे, राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक यथास्थिति, के वित्तीय लेखाओं का विशेष अंकेक्षण रजिस्ट्रार करायेगा और ऐसे विशेष अंकेक्षण का संचालन तथा ऐसे अंकेक्षण की रिपोर्ट की प्रस्तुति ऐसी रीति में तथा ऐसी समयावधि के भीतर की जायेगी, जैसी रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाये.

(23) अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी की बोर्ड के अलावा किसी भी प्राधिकारी को इसके निवल मूल्य (नेट वर्थ) या ऐसी सहकारी सोसाइटी की वित्तीय स्थिति के सुधार हेतु उन अपेक्षित निधियों को छोड़कर किसी निधि में किए जाने वाले अंशदान हेतु सहकारी सोसाइटी को निर्देशित करने की शक्तियां नहीं होंगी.

(24) सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के मामले में रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवकेपूर्ण मानदण्ड जिसमें पूंजी के लिए जोखिम भारित आस्तियों के मानदण्ड (रिस्क वेटेड असेट्स रेश्यो) भी सम्मिलित है रजिस्ट्रार द्वारा राष्ट्रीय बैंक के परामर्श से विहित किये जायेंगे.

(25) (एक) जहां रिजर्व बैंक कोई विनियम विहित करता है, जिसमें राज्य सहकारी बैंक या सहकारी केन्द्रीय बैंक, यथास्थिति, की बोर्ड के अतिष्ठान या परिसमापन की अनुशंसा भी शामिल है, तब रजिस्ट्रार ऐसी संसूचना के एक माह के भीतर अनुपालन करेगा.

(दो) रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सलाह के एक माह के भीतर रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करेगा कि परिसमापन या अधिक्रमण के लिए परिसमापक अथवा प्रशासक, यथास्थिति, नियुक्ति हो गया है.

(तीन) जहां रिजर्व बैंक की यह राय हो कि राज्य सहकारी बैंक अथवा केंद्रीय सहकारी बैंक, यथास्थिति, के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कृत्य ऐसे हैं कि ऐसे व्यक्ति का बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में निरंतर बने रहना बैंक के हित में वांछनीय नहीं है, तब रजिस्ट्रार से मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पद से हटाये जाने की अपेक्षा कर सकेगी तथा रजिस्ट्रार ऐसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उसे हटाये जाने हेतु तत्काल अग्रसर होगा.

(चार) यदि कोई व्यक्ति रिजर्व बैंक की राय में, रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट ज्ञान नहीं रखता है, तो रजिस्ट्रार रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सलाह पर, ऐसे सहयोजित सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उसे पद से हटाये जाने हेतु तत्काल अग्रसर होगा.

(26) अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी के प्रत्येक कर्मचारी ऐसी सहकारी सोसाइटी के संवर्ग से होंगे तथा सहकारी सोसाइटी को ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्यवाही के समस्त विषयों में पूर्ण शक्तियां होगी :

परन्तु यह कि कोई कर्मचारी जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि पर वहां है, के निबंधन एवं शर्तों को संरक्षित किया जायेगा.

(27) जहां अल्पकालीन साख संरचना सोसाइटी को इस अध्याय के किसी उपबंधों में लोकहित में छूट दिया जाना अपेक्षित हो, तो राज्य सरकार रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से ऐसा करेगी.

(28) कोई भी प्राधिकारी ऐसा कुछ भी नहीं करेगा अथवा ऐसे तरीके से ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करेगा जिसके प्रभाव से किसी भी अल्पकालीन साख संरचना सोसाइटी की शक्तियों में इस अध्याय के उपबंधों के अंतर्गत कमी होती हो.

धारा 58 का प्रतिस्थापन.

14. मूल अधिनियम की धारा 58 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"58. **लेखाओं की संपरीक्षा.—**

(1) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, संबंधित आय, व्यय के लेखों का संधारण ऐसे प्रारूपों में करेगी जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा विहित किया जाए और प्रत्येक सहकारी वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखे तथा सहकारी वर्ष के अंतिम दिवस की स्थिति पर तुलन पत्र प्रस्तुत करेगी.

(2) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी अपने लेखा पुस्तकों और समस्त संव्यवहारों जो उसके कारोबार से संबंधित है के अभिलेखों को संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म्स जो साधारण निकाय द्वारा इस संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित पैनल में से, प्राधिकृत किया गया है, को प्रस्तुत करेगी.

(3) रजिस्ट्रार, ऐसे व्यक्ति को जो भारत के सनदी लेखाकारों की संस्था अथवा संपरीक्षा फर्म्स का सदस्य नहीं है और जो उक्त संस्था द्वारा ऐसी संपरीक्षा करने हेतु सम्यक् रूप से प्राधिकृत नहीं किया गया हो, शामिल नहीं करेगा:

परंतु यह कि ऐसे सहकारी सोसाइटी के मामले में जिसमें सरकारी अंशधारिता अथवा ऋण अथवा कोई शासकीय प्रतिभूति या वित्तीय सहायता दी गयी है, रजिस्ट्रार पैनल में संपरीक्षक को शामिल कर सकेगा.

(4) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी अपने लेखाओं की संपरीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत संपरीक्षकों अथवा परीक्षकों के समूह द्वारा कराएगी और संपरीक्षा के लिए ऐसी फीस देय होगी जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में विहित की जाए:

परन्तु यह कि—

(एक) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट किये जाने वाले कारणों से सोसायटियों के किसी वर्ग को ऐसा शुल्क भुगतान करने में छूट दे सकेगी ;

(दो) रजिस्ट्रार, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे संपरीक्षकों अथवा संपरीक्षा फर्म्स के न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव का निर्धारण करेगा;

(तीन) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष जिससे ऐसे लेखे संबंधित हो, की समाप्ति के छ: माह के भीतर कराई जाएगी और सहकारी सोसाइटी की लेखाओं का संधारण संबंधित सहकारी सोसाइटी द्वारा ऐसी रीति में किया जाएगा जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में विहित किया जाएगा;

(चार) संपरीक्षक, जिसके द्वारा उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सहकारी सोसाइटी के लेखाओं का संपरीक्षण किया जाना है, की नियुक्ति इस संबंध में रजिस्ट्रार

द्वारा अनुमोदित संपरीक्षकों अथवा संपरीक्षा फर्म्स के पैनल में से सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा किया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि वहां संपरीक्षा रिपोर्ट पूर्ण होने या जारी होने के पश्चात्, कोई वित्तीय अनियमितता या गबन की शिकायत होती है तो रजिस्ट्रार, इस प्रयोजन के लिए विशेष संपरीक्षा हेतु आदेश दे सकेगा.

(5) उप-धारा (1) के अधीन संपरीक्षा में लेखाओं तथा अतिशोध्य ऋणों, यदि कोई हो, की परीक्षा, रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और सहकारी सोसाइटी की उपविधियों के अधीन जारी किए गए निर्देशों तथा आदेशों के अनुपालन की परीक्षा, रोकड़ अधिशेष तथा प्रतिभूतियों का सत्यापन तथा सोसाइटियों की आस्तियों तथा दायित्वों का मूल्यांकन एवं ऐसी अन्य मदें जो कि रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, सम्मिलित हैं.

(6) संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म्स की समस्त समयों पर सहकारी सोसाइटी की या उसकी अभिरक्षा की समस्त पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, कागज-पत्रों, प्रतिभूतियों, रोकड़ तथा अन्य सम्पत्तियों तक पहुंच होगी और किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसके कब्जे में कोई ऐसी पुस्तक, लेखे, दस्तावेजें, कागज-पत्र, प्रतिभूतियां, रोकड़ या अन्य सम्पत्तियां हों, या जो उनकी अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी हों, उन्हें उस सहकारी सोसाइटी के मुख्यालय के या उसकी किसी शाखा के किसी स्थान पर पेश करने के लिए समन कर सकेगा.

(7) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो किसी सहकारी सोसाइटी का अधिकारी या कर्मचारी हो अथवा किसी समय रह चुका हो, तथा किसी सहकारी सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य तथा भूतपूर्व सदस्य उस सहकारी सोसाइटी के संव्यवहारों एवं कार्यकरण के बारे में ऐसी जानकारी देगा, जैसा कि संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म्स अपेक्षित करे:

परंतु यह कि शीर्ष सोसायटियों के लेखाओं का संपरीक्षा प्रतिवेदन, राज्य विधान सभा के समक्ष ऐसी रीति में रखा जाएगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये."

15. (एक) मूल अधिनियम की धारा 74 के खण्ड (ट) में शब्द "अपराध घोषित किया गया है" के पश्चात् पूर्ण विराम (।) के स्थान पर, अर्द्धविराम (;) तथा शब्द "या" प्रतिस्थापित किया जाए. धारा 74 का संशोधन.

(दो) मूल अधिनियम की धारा 74 में, खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(ठ) अधिनियम की धारा 59 की उप-धारा (2) के अधीन यथा उपबंधित को छोड़कर, कोई व्यक्ति जानबूझकर अथवा बिना कोई युक्तियुक्त कारण के, कोई समंस, अध्यपेक्षा या विधिपूर्ण लिखित आदेश जो इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन जारी किया गया हो, की अवहेलना करता हो; या

(ड) कोई नियोजक जो बिना कोई पर्याप्त कारण के अपने कर्मचारियों से कटौती की गई धन राशि, ऐसी कटौती किए जाने के दिनांक से चौदह दिवस की कालावधि के भीतर सहकारी सोसाइटी को संदाय करने में विफल रहता हो; या

(ढ) बोर्ड के सदस्यों अथवा पदाधिकारियों के निर्वाचन के दौरान, पूर्व अथवा पश्चात् कोई व्यक्ति, ऐसा कोई भ्रष्ट आचरण करता हो, जो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित किया गया हो."

धारा 75 का संशोधन.

16. मूल अधिनियम की धारा 75 में,—

(एक) (1) खण्ड (क), (घ), (ङ) और (ज) में, अंक "2000" के स्थान पर, क्रमशः अंक "50,000" प्रतिस्थापित किए जाएं.

(2) खण्ड (ख), (ग), (ञ) में, अंक "1000" के स्थान पर, क्रमशः अंक "25,000" प्रतिस्थापित किए जाएं.

(3) खण्ड (झ) में, अंक "500" के स्थान पर, अंक "25,000" प्रतिस्थापित किया जाए.

(4) खण्ड (च), (छ) और (ट) में, अंक "250" के स्थान पर, क्रमशः अंक "25,000" प्रतिस्थापित किए जाएं.

(दो) उप-खण्ड (ट) में, शब्द "सिद्धदोष ठहराया गया हो" के पश्चात् पूर्ण विराम (।) के स्थान पर अर्ध विराम (;) तथा शब्द "या" प्रतिस्थापित किया जाए.

(तीन) खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(ठ) जुर्माने से जो 50,000/- रुपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (ठ) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(ड) जुर्माने से जो 50,000/- रुपये से अधिक नहीं होगा, प्रत्येक मामले में दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (ड) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(ढ) जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाए"

अध्याय दस का अंतःस्थापन.

17. मूल अधिनियम के अध्याय दस के स्थान पर निम्नलिखित नया अध्याय प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"अध्याय दस

अधिकरण का गठन

77. **छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण.**—

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा एक अधिकरण का गठन करेगी जिसे छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण कहा जायेगा जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो कि अधिकरण को इस अधिनियम और मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 (क्रमांक 2 सन् 2000) द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किये जाएं या उस पर अधिरोपित किये जाएं.

(2) अधिकरण में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे.

(3) (क) कोई भी व्यक्ति अधिकरण का अध्यक्ष होने के लिए अर्हित नहीं होगा, यदि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न रह चुका हो या कम से कम पांच वर्ष तक जिला न्यायाधीश का पद धारण न कर चुका हो.

(ख) अन्य दो सदस्यों में एक सदस्य सहकारिता विभाग का ऐसा अधिकारी होगा, जो अपर रजिस्ट्रार की श्रेणी से निम्न का न हो और दूसरा सदस्य कोई ऐसा अशासकीय व्यक्ति होगा, जो सहकारी आंदोलन से घनिष्ठतः

सम्बद्ध हो या कोई ऐसा अधिवक्ता या प्लीडर होगा, जिसे सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव हो:

परंतु यदि राज्य सरकार उचित समझे तो अधिकरण का गठन एक व्यक्ति से कर सकेगा.

स्पष्टीकरण :— इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "अशासकीय व्यक्ति" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण न करता हो.

(4) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाने या अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य होने के लिए उस दशा में निरर्हित होगा, यदि वह किसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड जो कि किसी सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय से भिन्न हो, का सदस्य हो.

(5) (क) अधिकरण का अध्यक्ष और अन्य सदस्य सामान्यत: कम से कम दो वर्ष और अधिक से अधिक पांच वर्ष की ऐसी कालावधि के लिए पद धारण करेगा, जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे, पद धारण करेंगे.

(ख) कोई व्यक्ति जिसने खण्ड (क) में उल्लिखित की गई कालावधि के लिये अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण किया हो, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा.

(ग) अधिकरण का कोई भी सभापति या कोई सदस्य, किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा.

(घ) अधिकरण का अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य सरकार की अनुज्ञा से कोई ऐसा अन्य पद की नियुक्ति या नियोजन धारण कर सकेगा, जो कि अधिकरण में उसकी स्थिति से असंगत न हो.

(6) उप-धारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार अध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति को किसी भी समय समाप्त कर सकेगी. यदि उसकी राय में, ऐसा अध्यक्ष या सदस्य अपने पद के कर्तव्यों का पालन करते रहने में असमर्थ या अयोग्य हो:

परन्तु कोई भी नियुक्ति इस उप-धारा के अधीन तब तक समाप्त नहीं की जाएगी, जब तक कि ऐसी समाप्ति के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर उस व्यक्ति को, जिसकी कि नियुक्ति का समाप्त किया जाना प्रस्तावित है, न दे दिया गया हो.

(7) (क) यदि सभापति या सदस्य का पद छुट्टी, अनुपस्थिति, प्रतिनियुक्ति, मृत्यु, पद-त्याग, नियुक्ति की अवधि के अवसान, नियुक्ति की समाप्ति के कारण या किसी भी अन्य कारण चाहे जो भी हो, से रिक्त हो जाए तो ऐसी रिक्ति ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरी जाएगी, जो इस धारा के अधीन नियुक्ति के लिए अर्हित हो.

(ख) जब तक कि अध्यक्ष के पद की रिक्ति उपधारा (1) के अधीन भरी न जाए, तब तक ज्येष्ठतम सदस्य अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा.

(8) अधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाए.

(9) अधिकरण की शक्तियों का प्रयोग तथा उसके कृत्यों का निर्वहन ऐसे न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा, जिनका गठन अध्यक्ष द्वारा अधिकरण के सदस्यों में से, जिनमें वह स्वयं सम्मिलित है, किया गया हो:

परन्तु कोई अंतर्वर्ती आवेदन उपस्थित होने वाले दो या अधिक सदस्यों द्वारा सुना जा सकेगा.

(10) ऐसे न्यायपीठों में दो या दो से अधिक सदस्य होंगे.

(11) जहां किसी मामले की सुनवाई तीन सदस्यों द्वारा की जाए, वहां बहुमत की राय अभिभावी होगी तथा विनिश्चय बहुमत की राय के अनुसार होगा, जहां किसी मामले की सुनवाई समसंख्यक सदस्यों द्वारा की जाए और वे सदस्य अपनी-अपनी राय में बराबर बंटे हुए हों, वहां यदि अध्यक्ष उन सदस्यों में से एक सदस्य हो तो अध्यक्ष की राय अभिभावी होगी और अन्य मामलों में वह विषय सुनवाई के लिए अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा और उसके विनिश्चय के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा.

(12) अधिकरण अपनी प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए तथा अपने कामकाज के निपटारे के लिए राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अध्यधीन रहते हुए ऐसे विनियम विरचित करेगा, जो इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से संगत हों.

(13) उपधारा (12) के अधीन बनाये गये विनियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे.

(14) अधिकरण स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर किसी ऐसी कार्यवाही के, जिसमें कि कोई अपील उसको न होती हो, अभिलेख में किए गए किसी विनिश्चिय या पारित किए गए किसी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन से मंगा करेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा, यदि किसी मामले में अधिकरण को यह प्रतीत हो कि कोई ऐसा विनिश्चय या आदेश उपान्तरित किया जाना चाहिए, तो अधिकरण उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा कि वह न्याय संगत समझे.

(15) जहां कोई अपील या आवेदन इस अधिनियम के अधीन अधिकरण को किया गया हो, वहां वह अधिकरण न्याय के उद्देश्यों को विफल होने से रोकने के लिए यथास्थिति अपील या आवेदन-पत्र का विनिश्चय लंबित रहने की अवधि में ऐसे अन्तर्वर्ती आदेश कर सकेगा, जो कि उसे न्याय संगत एवं सुविधापूर्ण प्रतीत हों या ऐसे आदेश कर सकेगा, जो न्याय के उद्देश्यों के लिए या अधिकरण की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हों.

(16) इस अधिनियम के अधीन अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन में अधिकरण द्वारा पारित किया गया आदेश अंतिम तथा निश्चायक होगा और वह किसी सिविल या राजस्व न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा.

(17) इस अधिनियम के अधीन किसी अपील की सुनवाई करने वाला अधिकरण उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो कि किसी अपील न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, (क्रमांक 5 सन् 1908) की धारा 97 तथा उस संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश 41 द्वारा प्रदत्त की गई है.

77-क. **पुनर्विलोकन.—**

(1) अधिकरण अथवा रजिस्ट्रार किसी हितबद्ध पक्षकार का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, किसी भी मामले में अपने स्वयं के आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेंगे और उसके संदर्भ में ऐसा आदेश पारित कर सकेंगे, जैसा कि वह न्यायसंगत समझे:

परंतु हितबद्ध पक्षकार द्वारा किया गया कोई भी ऐसा आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक अधिकरण या रजिस्ट्रार, यथास्थिति, का यह समाधान न हो जाये कि साक्ष्य की नई तथा महत्वपूर्ण ऐसी बात का पता लगा लिया गया है, जो कि सम्यक् तत्परता का प्रयोग करने के पश्चात् भी उनकी या आवेदक की जानकारी में नहीं थी या वह उसके द्वारा उस समय प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी जब कि उसका आदेश किया गया था, या यह कि कोई ऐसी भूल या गलती हुई है जो अभिलेख को देखने से ही प्रकट हो जाती है, या कोई अन्य पर्याप्त कारण रहा है:

परंतु यह और कि ऐसा आदेश तब तक परिवर्तित, संशोधित या पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों को उपसंजात होने के लिए सूचना न दे दी गई हो और ऐसे आदेश के समर्थन में सुना न गया हो:

(2) किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किसी आदेश के पुनर्विलोकन का आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदन उस आदेश के पारित किये जाने की तिथि से नब्बे दिवस के भीतर फाइल न किया गया हो.

77-ख. **अधिकरण द्वारा सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करना.—**

(1) इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में अधिकरण को निम्नलिखित बातों के संबंध में वे समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :—

(क) शपथ पत्रों द्वारा तथ्यों का सबूत;

(ख) किसी व्यक्ति को समन करना तथा उसको हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ग) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण या पेश किये जाने के लिए विवश करना; और

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना.

(2) किसी भी ऐसे शपथ पत्र की दशा में, कोई भी ऐसा अधिकारी जो अधिकरण द्वारा इस संबंध में नियुक्त किया गया हो, अभिसाक्षी को शपथ दिला सकेगा.

78. **रजिस्ट्रार तथा अधिकरण के समक्ष अपीलें.—**

(1) जहां इसके संबंध में अन्यथा उपबंधित है को छोड़कर, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन पारित किये गये प्रत्येक मूल आदेश की अपील :—

(क) रजिस्ट्रार को तब होगी जबकि ऐसा आदेश रजिस्ट्रार के अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी, जो अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार से भिन्न

हो, के द्वारा पारित किया गया हो, चाहे ऐसा आदेश पारित करने वाला अधिकारी रजिस्ट्रार की शक्तियों से निहित हो या न हो;

(ख) अधिकरण को तब होगी जबकि ऐसा आदेश रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा पारित किया गया हो.

(2) प्रथम अपील में रजिस्ट्रार द्वारा पारित किये गये किसी आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील अधिकरण को मात्र निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर होगी, अर्थात् :—

(एक) यह कि आदेश विधि के प्रतिकूल है; या

(दो) यह कि आदेश में विहित के कतिपय तात्विक विवाद्यक का अवधारण नहीं हो पाया है; या

(तीन) यह कि इस अधिनियम द्वारा यथाविहित प्रक्रिया में ऐसी सारवान गलती या त्रुटि हुई है जिससे कि गुणागुण पर मामले का विनिश्चय करने में गलती या त्रुटि हो सकती है.

(3) प्रत्येक अपील विहित रीति में संबंधित अपील प्राधिकारी को उस तारीख के जिसको कि वह आदेश, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई है, उस आदेश से प्रभावित हुए पक्षकार को संसूचित किया गया था, साठ दिन के भीतर प्रस्तुत की जायेगी :

परंतु इस उप-धारा के अधीन परिसीमा काल की संगणना करने में उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गई है, प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जायेगा.

78-क. **कतिपय मामलों में अपील प्राधिकारी द्वारा परिसीमा-काल का बढ़ाया जाना.**— वे समस्त मामले जिनमें इस अधिनियम के अधीन यह उपबंध किया गया है कि किसी भी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध, अपील किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्रस्तुत की जा सकेगी, अपील प्राधिकारी ऐसी कालावधि का अवसान होने के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का यह समाधान कर दे कि ऐसी कालावधि के भीतर अपील न करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था.

79. **कतिपय मामलों में कोई अपील या पुनर्विलोकन न होना.**—इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व स्वीकृति से या उसकी अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर,—

(एक) किसी सहकारी बैंक के परिसमापन के लिए आदेश किया गया हो ; या

(दो) समझौता या ठहराव की अथवा पुनर्निर्माण या पुनर्गठन या संविलियन की कोई योजना बनाई गई हो; या

(तीन) किसी सहकारी बैंक की बोर्ड के, चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाती हो, के अतिष्ठान या निलम्बन के लिए आदेश किया गया हो तथा इसके लिए प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की गई हो,

वहां उसके विरुद्ध कोई अपील या पुनर्विलोकन नहीं होगा या अनुज्ञेय नहीं होगा और भारतीय रिजर्व बैंक का ऐसा आदेश या स्वीकृति या अध्यपेक्षा प्रश्नगत किये जाने के दायित्वाधीन नहीं होगी जहां ऐसा आदेश, योजना समझौता, प्रबंध, निर्माण, पुनर्निर्माण या संविलियन के लिए पारित किया गया हो या बनाया गया हो.

80. **मामलों का अन्तरण या प्रत्याहरण.**— धारा 78 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों को विनिश्चय के लिए अपने अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी को, जो ऐसे मामले, या ऐसे वर्ग के मामलों को विनिश्चिय करने के लिए सक्षम हो, अंतरित कर सकेगा या वह किसी भी ऐसे अधिकारी से उसके समक्ष विनिश्चय हेतु लंबित किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों को प्रत्याहृत कर सकेगा तथा या तो वह स्वयं कार्यवाही करने हेतु अग्रसर होगा या उसे अपने अधीनस्थ किसी अन्य ऐसे अधिकारी को, जो ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों को विनिश्चित करने के लिए सक्षम हो, निर्दिष्ट कर सकेगा.

80-क. **बोर्ड एवं अधीनस्थ अधिकारियों की कार्यवाहियां मंगाने और उन पर आदेश पारित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति.**—रजिस्ट्रार किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा किए गए किसी आवेदन पर किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा की गई किसी जांच या कार्यवाहियों का अभिलेख या किसी सहकारी सोसाइटी की बोर्ड के किसी विनिश्चय को, किए गए किसी विनिश्चय या पारित किये गये किसी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में और ऐसे अधिकारियों या बोर्ड की कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकेगा और उसकी जांच कर सकेगा. यदि किसी मामले में रजिस्ट्रार को यह प्रतीत होता है कि इस प्रकार मंगाए गए किसी विनिश्चय या आदेश या कार्यवाहियों को उपान्तरित किया जाना चाहिए, बातिल (शून्य) किया जाना चाहिए या उलटा जाना चाहिए तो रजिस्ट्रार उसमें ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो कि वह ठीक समझे :

परंतु इस धारा के अधीन किसी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसे पक्षकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न मिल चुका हो :

परंतु यह और कि इस धारा के अंतर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां संयुक्त रजिस्ट्रार से निम्न श्रेणी के किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की जाएगी.

80-ख. **अन्तर्वर्ती आदेश करने की शक्ति.**—जहां कोई अपील या पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन इस अधिनियम के अधीन अधिकरण या रजिस्ट्रार को किया गया हो, वहां यथास्थिति, अधिकरण या रजिस्ट्रार, न्याय के उद्देश्यों को विफल होने से रोकने के लिए, यथास्थिति अपील या आवेदन पर विनिश्चय लंबित रहने की अवधि में ऐसे अन्तर्वर्ती आदेश कर सकेगा जो कि उसे न्यायसंगत एवं सुविधापूर्ण प्रतीत हो, या ऐसे आदेश कर सकेगा जो न्याय के उद्देश्यों के लिए या उसकी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हो.

80-ग. **आदेशों के निष्पादन का रोका जाना.**—

(1) धारा 3 के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी जिसने कोई आदेश पारित किया हो या उसका पद उत्तरवर्ती, अपील के लिए विहित की गई कालावधि का अवसान होने के पूर्व, किसी भी समय, यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसे आदेश का निष्पादन उतने समय तक के लिए रोक दिया जाए जो अपील फाइल करने तथा अपील प्राधिकारी से स्थगन आदेश अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित हो.

(2) वह प्राधिकारी, जो धारा 78 या धारा 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, यह निर्देश दे सकेगा कि उस आदेश का, जो अपील या पुनर्विलोकन के अधीन है, निष्पादन उतने समय तक के लिए रोक दिया जाए जैसा कि वह उचित समझे.

(3) किसी आदेश का निष्पादन रोक दिए जाने का निर्देश देने वाला अधिकारी या प्राधिकारी ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा या ऐसी प्रतिभूति दिए जाने का आदेश दे सकेगा जैसा कि वह उचित समझे.

80-घ. **लंबित मामलों का अंतरण.**—इस अधिनियम के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के गठन के अधिसूचना की तारीख के तत्काल पूर्व राज्य सरकार के समक्ष लंबित प्रत्येक अपील या कोई अन्य कार्यवाही अधिकरण को अंतरित हो जाएगी."

नवीन धारा 95-क का अंत:स्थापन.

18. 95-क. मूल अधिनियम की धारा 95 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"95-क. **कठिनाईयों का निराकरण.**—

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील बनाने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा कि वह ऐसी कठिनाई के निराकरण करने के लिए आवश्यक समझे:

परंतु यह कि ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रभावशील होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् पारित नहीं किया जाएगा.

(2) उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश विधानसभा के पटल पर यथाशीघ्र रखा जाएगा और जो किसी भी दशा में आदेश की तारीख के ठीक आगामी सत्र के अंतिम दिवस के पश्चात् नहीं होगा.

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

भारत के संविधान का संशोधन "संविधान (संतानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011" द्वारा किया गया है. संशोधन अधिनियम के द्वारा अंत:स्थापित नवीन अनुच्छेद 43ख भाग IXB के उपबंधों के अनुसार "राज्य सहकारी संस्थाओं के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्तशासी क्रियाकरण, प्रजातांत्रिक नियंत्रण व पेशेवर (वृत्तिक) प्रबंधन को प्रोन्नत करने हेतु प्रयास करेगा".

उपरोक्त वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एवं राज्य सरकार द्वारा अल्पकालीन साख संरचना संबंधी हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. के प्रावधानों के अनुपालन की दृष्टि से, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 में आवश्यक संशोधन करने का निर्णय लिया है जिससे कि वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

स्थान : रायपुर
दिनांक : 13 जुलाई, 2012

ननकीराम कंवर
सहकारिता मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

वित्तीय ज्ञापन

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2012 की धारा 50-ख में राज्य निर्वाचन आयोग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं धारा 77 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के गठन का प्रावधान है जिससे राज्य शासन पर प्रति वर्ष अनुमानित व्यय रु. 1,50,12,000.00 (शब्दों में रुपये एक करोड़ पचास लाख बारह हजार) केवल का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

उपाबंध

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की उद्देशिका, धारा 2 (म-एक), 2 (ख-क), 2 (य), 2 (घ), 2 (न-एक), 2 (खख), 19-घ, 32 (3), 48 (3), 48 (7), 49 (1), 49 (7-क), 49 (8), 50-क (1-क), 50-क (1-ख), 52-ख, 53 (1) (ग), 53 (3), 53 (13), 56 (1), 56 (3), 58, 74 (ट), 75 (क), 75 (ख), 75 (ग), 75 (घ), 75 (ङ), 75 (च), 75 (छ), 75 (ज), 75 (झ), 75 (ञ), 75 (ठ), 75 (ट), दसवां अध्याय एवं 95 (3) का सुसंगत उद्धरण—

* * * * * * * * * * * * * *

उद्देशिका लोकतांत्रिक साधन के रूप में और स्वयंसेवी तथा पारस्परिक सहायता पर आधारित लोक संस्थाओं के रूप में स्वैच्छिक सहकारी संस्थाओं को संगठित करने और उनका विकास करने और जनता के, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा-2 **परिभाषाएं.**— इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

खण्ड (म-एक) "रिटर्निंग अधिकारी" से अभिप्रेत है कोई ऐसा अधिकारी जिसे रजिस्ट्रार ने साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस हेतु नियुक्त किया हो कि वह अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रिटर्निंग अधिकारी के कर्त्तव्यों का पालन करे और उसके अंतर्गत रिटर्निंग अधिकारी के अधीनस्थ कोई ऐसा अधिकारी आता है, जिसे उसने इस हेतु लिखित में नामनिर्दिष्ट किया हो कि वह रिटर्निंग अधिकारी के कर्त्तव्यों का पालन करे;

खण्ड (ख-क) "कार्यक्षेत्र" से अभिप्रेत है वह क्षेत्र जहां से सदस्यता ली जाती है या जैसा कि सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट है;

खण्ड (य) "सोसाइटी" से अभिप्रेत है कोई सहकारी सोसाइटी जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या रजिस्ट्रीकृत हुई समझी जाती हो;

खण्ड (घ) "समिति" से अभिप्रेत है धारा 48 के अधीन गठित किया गया प्रबन्ध बोर्ड, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाता हो;

खण्ड (न-एक) "अधिकारी" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी सोसाइटी द्वारा ऐसी सोसाइटी के किसी पद पर ऐसी सोसायटी की उपविधियों के अनुसार निर्वाचित या नियुक्त किया गया हो और उसके अन्तर्गत कोई सभापति, उप-सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, प्रबंधक सचिव, कोषाध्यक्ष, समिति का सदस्य तथा कोई ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसे ऐसी सोसायटी के कारोबार के संबंध में निर्देश देने के लिये इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन निर्वाचित या नियुक्त किया गया हो आता है :

खण्ड (खख) "विद्यार्थी" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी शैक्षणिक, व्यवसायिक या प्रशिक्षण संस्था में अध्ययन क

* * * * * * * * * * * * *

धारा 19-घ * * * (विलुप्त)

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 32 **सोसाइटी का पता तथा नाम का संप्रदर्शन.**

उप-धारा (3) प्रत्येक सोसाइटी के नाम से शब्द "सहकारी" और "सीमित" या उसके समतुल्य शब्द राज्य की राजभाशा में अन्तर्विष्ट होंगे.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 48 **सोसाइटी में अंतिम प्राधिकार.**

उप-धारा (3) (क) प्राथमिक सोसायटी की समिति में—

(एक) जिसमें आधे या आधे से अधिक सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के हैं, स्थानों की कुल संख्या के कम से कम आधे स्थान ऐसे जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए ऐसे अनुपात में आरक्षित रखे जाएंगे. जो विहित किया जाए,

(दो) जिसमें एक चौथाई या एक चौथाई से अधिक किन्तु आधे से कम सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के हैं, तीन स्थान ऐसी जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षित रखे जाऐंगे, जिनमें से प्रत्येक एक स्थान प्रत्येक वर्ग के लिए आरक्षित रखा जाएगा.

(तीन) जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों की संख्या के सदस्यों की कुल संख्या के एक चौथाई से कम है, एक स्थान ऐसी जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षित रखा जाएगा, जिसके सदस्य सोसाइटी में अधिक संख्या में हों.

(चार) जो अनुसूचित क्षेत्र में काम कर रही है, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या, अनुसूचित जनजातियों के सदस्य के रूप में उसी अनुपात में यथाशक्य निकटतम होगी जो किसी सोसाइटी की कुल सदस्य संख्या के साथ है.

स्पष्टीकरण :— इस खंड के प्रयोजन के लिए सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक प्राथमिक सहकारी सोसायटी समझी जायेगी.

(ख) ऐसी केन्द्रीय या शीर्ष सोसाइटी या ऐसे वर्ग की केन्द्रीय या शीर्ष सोसाइटियों की समिति में, जो राज्य सरकार, ऐसी शीर्ष या केन्द्रीय सोसाइटी के संबद्ध प्राथमिक सोसाइटियों में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की कुल सदस्य संख्या को ध्यान में रखते हुए साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निर्देशित करे, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए उतनी संख्या में स्थान आरक्षित रखे जाएंगे जो आदेश विनिर्दिष्ट की जाए,

परन्तु इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या सदस्यों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए दो से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह और भी कि संसाधन वर्ग की प्रत्येक केन्द्रीय या शीर्ष सोसाइटी की समिति में कम से कम एक-एक स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षित रखा जाएगा.

(ग) किसी सोसाइटी द्वारा अपेक्षित संख्या में सदस्यों का निर्वाचन करने में असफल रहने पर या खण्ड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट संख्या से कम संख्या में सदस्यों का निर्वाचन करने की दशा में समिति के सदस्य अपेक्षित संख्या में सदस्यों का सहयोजन ऐसी सोसाइटी के उन सदस्यों में से करेंगे जो ऐसे प्रतिनिधित्व के पात्र हैं और समिति द्वारा ऐसा करने में असफल रहने की दशा में रजिस्ट्रार अपेक्षित संख्या में सदस्यों का नामनिर्देशन ऐसी सोसाइटी के उन सदस्यों में से करेगा, जो ऐसे प्रतिनिधित्व के लिए पात्र हैं.

उप-धारा (7) किसी संसाधन सोसाइटी में, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उधार न लेने वाला सदस्य है, समिति के सदस्य के रूप में प्रत्यायुक्त या प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हित नहीं होगा और न ही वह ऐसी सोसाइटी की समिति उसके प्रत्यायुक्त या प्रतिनिधि के किसी निर्वाचन में मत देने का हकदार होगा.

स्पष्टीकरण :— उधार न लेने वाला सदस्य वह होगा जिसने ऐसे किसी बैंक या किसी सोसायटी से, जिसमें वह सदस्य है, कभी उधार न लिया हो:

परन्तु इस धारा के उपबंध सोसाइटी को उस तारीख से लागू होंगे जिसको वह उधार देने की संक्रियाएं प्रारंभ करती है:

परन्तु यह और भी कि इस उपधारा के उपबंध सोसाइटी को, जहां तक उसकी प्रथम अनंतिम समिति/नामनिर्दिष्ट समिति का संबंध है, लागू नहीं होंगे.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 49 **वार्षिक साधारण सम्मिलन**

उपधारा (1) प्रत्येक सोसाइटी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व तीन मास के भीतर अपने सदस्यों का साधारण सम्मिलन निम्नलिखित प्रयोजन के लिए बुलाएगी :—

खण्ड (च) अगले वर्ष के लिए बजट पेश करने के लिए.

उप-धारा (7-क) (एक) समिति का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको समिति का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पांच वर्ष होगा:

परन्तु जहां किसी समिति को अतिष्ठित या निलंबित किया गया है, या अधिनियम के अधीन हटाया गया है किसी न्यायालय के या प्राधिकारी के आदेश के फलस्वरूप पुन: स्थापित हो जाती है, वहां वह कालावधि जिसके दौरान वह समिति यथास्थिति अतिष्ठित, निलंबित या पद पर नहीं रही है पूर्वोक्त कार्यकाल की गणना करने में अपवर्जित कर दी जाएगी.

उप-धारा (8) यदि उपधारा (7-क) में विनिर्दिष्ट कार्यकाल या एतद् पूर्व हटाई गयी उपधारा (7-कक) के अध्यधीन बढ़ाये गये कार्यकाल का अवसान का होने के पूर्व निर्वाचन नहीं होते हैं तो समिति के समस्त सदस्यों के संबंध में यह समझा जाएगा कि सभी सदस्यों ने अपने पद रिक्त कर दिये हैं और समिति की शक्तियां रजिस्ट्रार में निहित हो गई है और रजिस्ट्रार यथासंभव शीघ्र निर्वाचन करवायेगा.

परन्तु रजिस्ट्रार इस उपधारा के अधीन उसमें निहित समिति की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार प्राधिकृत किया गया उक्त अधिकारी ऐसे प्राधिकृत किये जाने की तारीख से ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 50-क **सोसाइटी की समिति या प्रतिनिधि या प्रत्यायुक्त के निर्वाचन में अभ्यर्थी या मतदाता होने के लिए निरर्हता.**

उपधारा (1-क) कोई भी व्यक्ति, प्रतिनिधि, प्रत्यायुक्त या समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी होने के लिये अर्हित नहीं होगा, यदि उसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो.

उपधारा (1-ख) उपधारा (1-क) में उल्लेखित पद पर निर्वाचित कोई व्यक्ति ऐसा पद धारण करने से निरर्हित हो जाएगा यदि 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् एक संतान का जन्म हो जाता है जिससे उसकी संतान की संख्या दो से अधिक हो जाती है.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 52-ख **समिति में स्त्री सदस्यों का प्रतिनिधित्व**—यदि राज्य सरकार की राय में यह आवश्यक हो कि ऐसी सोसाइटी की या ऐसे वर्ग की सोसाइटियों की, जिन्हें/जिसे कि वह (राज्य सरकार) साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें, समिति से स्त्री

सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वह (राज्य सरकार) ऐसी सोसाइटी को यह निर्देश दे सकेगी कि वह अपनी समिति में स्त्रियों के लिए स्थान के आरक्षण की व्यवस्था करें :

परन्तु इस प्रकार आरक्षित रखे गये स्थानों की संख्या ऐसे समिति में चार से अधिक नहीं होगी.

परन्तु यह और भी कि सोसाइटी के अपने समिति में अपेक्षित संख्या में स्त्री सदस्य निर्वाचित करने में असफल रहने या ऐसी संख्या से कम संख्या में स्त्री सदस्यों को निर्वाचित करने की दशा में, समिति के शेष सदस्य, ऐसी सोसाइटी के उन स्त्री सदस्यों में से, जो ऐसे प्रतिनिधित्व के हकदार हैं, अपेक्षित संख्या में स्त्री सदस्यों को सहयोजित करेंगे और अपेक्षित संख्या में स्त्री सदस्यों को सहयोजित करने में समिति के असफल रहने की दशा में रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी के स्त्री सदस्यों में से, जो ऐसे प्रतिनिधित्व के हकदार हैं, अपेक्षित संख्या में स्त्री सदस्यों को नाम-निर्देशित करेगा.

धारा 53 **समिति का अतिष्ठान**

उप-धारा (1) यदि, रजिस्ट्रार की राय में, किसी सोसाइटी की समिति,—

(ग) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या सोसाइटी की उपविधियों के उपबंधों का या रजिस्ट्रार द्वारा पारित किसी आदेश का अतिक्रमण करती है ;

तो रजिस्ट्रार, लिखित आदेश द्वारा, उस समिति को हटा सकेगा और ऐसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए, जो प्रथमतः दो वर्ष से अधिक नहीं होगी किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को इस हेतु से नियुक्त कर सकेगा कि वे उस सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध करें:

परन्तु सहकारी बैंक के मामले में, अतिष्ठान का आदेश रिजर्व बैंक से पूर्व परामर्श किये बिना नहीं दिया जायेगा:

परन्तु यह और भी कि यदि कोई ऐसी संसूचना, जिसमें कि प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के विचार अन्तर्विष्ट हों, उस निवेदन के, जिसमें कि परामर्श चाहा गया हो, उस बैंक को प्राप्त होने के पैंतालिस दिन के भीतर प्राप्त न हो, तो यह उपधारणा की जाएगी कि भारतीय रिजर्व बैंक प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है तथा रजिस्ट्रार ऐसा आदेश, जैसा कि उचित समझा जाय, पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा.

परंतु यह और भी कि सहकारी बैंक के मामले में, यदि रिजर्व बैंक लोकहित में ऐसा अपेक्षित करे या सहकारी बैंक के क्रियाकलापों का ऐसी रीति में संचालित किया जाना निवारित करने के लिए जो निक्षेपकर्त्ताओं के हितों के लिए अपायकर हो, या किसी सहकारी बैंक का प्रबंध उचित रीति में किया जाना सुनिश्चित करने के लिए रजिस्ट्रार, उसकी समिति या प्रबंध निकाय के, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, अतिष्ठान के लिए तथा उसके लिए कुल मिलाकर पांच वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि या कालावधियों के लिए, जो समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट की जाय, प्रशासक की नियुक्ति के लिए आदेश पारित करेगा और ऐसी नियुक्ति होने पर उपधारा (4), (5), (6) तथा (8) के उपबंधों इस प्रकार लागू होंगे मानो कि आदेश उपधारा (1) के अधीन पारित किये गये हों.

परन्तु यह भी कि यदि किसी प्राथमिक सोसाइटी की समिति में किसी अशासकीय व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है तो वह उस सोसाइटी के उन सदस्यों में से होगा जो ऐसे प्रतिनिधित्व के हकदार हैं और केन्द्रीय या शीर्ष सोसाइटी की दशा में, यदि कोई व्यक्ति ऐसी सोसाइटी की समिति में नियुक्त किया जाता है तो वह उसकी संबद्ध सोसाइटियों में से किसी सोसाइटी का ऐसा सदस्य होगा जो ऐसे प्रतिनिधित्व के लिए हकदार हो.

उप-धारा (3) उप-धारा (1) के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि, रजिस्ट्रार के विवेकानुसार, समय-समय पर बढ़ाई जा सकेगी.

परंतु कोई भी ऐसा आदेश कुल मिलाकर तीन वर्ष से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा.

उप-धारा (13) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी सोसाइटी की, उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी सोसाइटी की समिति किसी न्यायालय के आदेश के कारण या अन्यथा कार्य करने से परिविरत हो जाय, तो रजिस्ट्रार उस समय तक के लिये किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों की समिति को अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकेगा जब तक कि न्यायालय का आदेश बातिल न कर दिया जाय या नवीन निर्वाचन न हो जाय तथा समिति कार्यभार ग्रहण न कर लें.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 56 **बाध्यता का पालन कराने की रजिस्ट्रार की शक्ति.**

उप-धारा (1) प्रत्येक सोसाइटी ऐसे अभिलेख, रजिस्टर तथा लेखा-पुस्तकें बनाये रखेगी तथा रजिस्ट्रार को ऐसी जानकारी तथा ऐसी विवरणियां देगी जिनकी कि उसके द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाय.

उप-धारा (3) यदि सोसाइटी का कोई ऐसा अधिकारी या कर्मचारी, जिस पर कि विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व उपधारा (2) के अधीन निरोपित किया गया हो, अभिलेख, रजिस्टर यथा लेखा-पुस्तकें नहीं बनाये रखता है और रजिस्ट्रार को ऐसी जानकारी तथा ऐसी विवरणियां, जैसी कि रजिस्ट्रार अपेक्षा करे. विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं देता है, तो रजिस्ट्रार आदेश द्वारा, ऐसे अधिकारी के बारे में यह घोषित कर सकेगा कि वह तीन वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के दौरान जैसी कि वह ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट करें, समिति का सदस्य होने के लिए निरर्हित रहेगा और यदि वह अधिकारी सोसाइटी का कर्मचारी है तो उस पर ऐसी शास्ति जो पांच हजार रुपये से अधिक न हो, अधिरोपित कर सकेगा :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दें दिया जाय.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 58 **संपरीक्षा तथा संपरीक्षा फीस.**

उप-धारा (1) रजिस्ट्रार प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा करेगा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे उसने, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, लिखित में इस निमित्त प्राधिकृत किया हो, करवायेगा और ऐसी सोसाइटी से ऐसी फीस वसूल करेगा जो कि विहित की जाय:

परन्तु,—

(एक) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट किये जाने वाले कारणों से, सोसाइटियों के किसी वर्ग को छूट दे सकेगी;

(दो) रजिस्ट्रार, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, किसी सोसाइटी को इस उपधारा के अधीन फीस या उसके भाग के भुगतान से छूट दे सकेगा.

परन्तु यह और भी कि कोई केन्द्रीय सोसाइटी या कोई शीर्ष सोसाइटी या कोई नगरीय सहकारी बैंक अपने लेखाओं की संपरीक्षा, रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से करवा सकेगी.

परन्तु यह भी कि यदि वहां संपरीक्षा रिपोर्ट पूर्ण होने या जारी होने के पश्चात्, कोई वित्तीय अनियमितता या गबन की शिकायत होती है तो रजिस्ट्रार, इस प्रयोजन के लिए विशेष संपरीक्षा हेतु आदेश दे सकेगा.

उप-धारा (2) उपधारा (1) के अधीन की संपरीक्षा में लेखाओं की तथा अतिशोध्य ऋणों की, यदि कोई हो, परीक्षा, रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम, उसके अधीन बनाये गये नियमों और सोसाइटी की उपविधियों के अधीन दिए गए अनुदेशों तथा आदेशों का अनुपालन की परीक्षा रोकड़ बाकी तथा प्रतिभूतियों का सत्यापन तथा सोसाइटियों की आस्तियों तथा दायित्वों का मूल्यांकन एवं ऐसी अन्य मदें जो कि रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, सम्मिलित हैं.

उप-धारा (3) रजिस्ट्रार या प्राधिकृत व्यक्ति की समस्त समयों पर सोसाइटी की या उसकी अभिरक्षा में की समस्त पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, कागज-पत्रों, प्रतिभूतियों, रोकड़ तथा अन्य सम्पत्तियों तक पहुंच होगी और किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसके कि कब्जे में कोई ऐसे पुस्तक, लेखे, दस्तावेजें, कागज-पत्र, प्रतिभूतियां, रोकड़ या अन्य सम्पत्तियां हो, या जो उनकी अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी हो, उन्हें उस सोसाइटी की मुख्यालय के या उसकी किसी शाखा पर के किसी स्थान पर पेश करने के लिए समन कर सकेगा.

उप-धारा (4) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो किसी सोसाइटी का अधिकारी या कर्मचारी हो अथवा किसी समय रह चुका हो, तथा किसी सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य तथा भूतपूर्व सदस्य उस सोसाइटी के संव्यवहारों एवं कार्यकरण के बारे में ऐसी जानकारी देगा जैसी की रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया व्यक्ति किया अपेक्षित करे.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 74 **अपराध.**— इस अधिनियम के अधीन अपराध होगा यदि.—

(ट) किसी सोसाइटी का कोई अधिकारी या सदस्य या कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जो नियमों द्वारा अपराध घोषित किया गया है या ऐसे कार्य लोप का दोषी है जो नियमों द्वारा अपराध घोषित किया गया है.

धारा 75 **अपराधों के लिए शास्तियां.**— किसी सोसायटी की प्रत्येक समिति, उसका प्रत्येक अधिकारी या भूतपूर्व अधिकारी या सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या कोई कर्मचारी या भूतपूर्व कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति, किसी ऐसी कार्यवाही पर जो कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना—

(क) जुर्माने से, जो 2,000/- रुपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (क) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(ख) जुर्माने से, जो 1,000/- रुपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (ख) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(ग) जुर्माने से, जो 1,000/- रुपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (ग) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(घ) जुर्माने से, जो 2,000/- रुपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (घ) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(ङ) जुर्माने से, जो 2,000/- रुपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (ङ) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(च) जुर्माने से, जो 250/- रुपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (च) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(छ) जुर्माने से, जो 250/- रुपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (छ) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(ज) जुर्माने से, जो 2,000/- से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (ज) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(झ) जुर्माने से, जो 500/- रुपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (झ) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(ञ) जुर्माने से, जो 1,000/- रुपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (ञ) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(ट) जुर्माने से, जो 250/- रुपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (ट) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो.

* * * * * * * * * * * * * *

दसवां अध्याय-अपीलें, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन

धारा 77 **अपील**

उप-धारा (1) जहां इसके संबंध में अन्यथा उपबंधित है, उसे छोड़कर, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन पारित किये गये प्रत्येक मूल आदेश की अपील :—

(एक) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार से भिन्न किसी अधिकारी के द्वारा पारित किया गया है, चाहे आदेश पारित करने वाला अधिकारी रजिस्ट्रार की शक्तियों से विनिहित हो या न हो, संयुक्त रजिस्ट्रार को होगी :

(दो) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश संयुक्त रजिस्ट्रार के द्वारा पारित किया गया हो, चाहे उसमें रजिस्ट्रार की शक्तियां विनिहित हो या न हो, रजिस्ट्रार को अथवा रजिस्ट्रार के द्वारा प्राधिकृत अपर रजिस्ट्रार को होगी :

(तीन) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश रजिस्ट्रार अथवा अपर रजिस्ट्रार के द्वारा पारित किया गया हो, राज्य सरकार को होगी :

उप-धारा (2) जहां इसके संबंध में अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रथम अपील के प्रत्येक आदेश की द्वितीय अपील :—

(एक) संयुक्त रजिस्ट्रार के विरुद्ध रजिस्ट्रार अथवा रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत अपर रजिस्ट्रार को होगी.

(दो) रजिस्ट्रार या अपर रजिस्ट्रार के विरुद्ध राज्य सरकार को होगी.

उप-धारा (3) द्वितीय अपील निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर होगी, न कि अन्य आधारों पर, अर्थात् :—

(एक) यह कि आदेश विधि के प्रतिकूल है: या

(दो) यह कि आदेश में विधि के कतिपय तात्विक विवादक का अवधारण नहीं हो पाया है: या

(तीन) यह कि इस अधिनियम द्वारा यथाविहित प्रक्रिया का पालन करने में ऐसी सारवान गलती या त्रुटि हुई है, जिससे कि गुणावगुण पर मामले का विनिश्चय करने में गलती या त्रुटि हो गयी हो.

उप-धारा (4) प्रत्येक अपील विहित रीति में संबंधित अपील प्राधिकारी को उस तारीख के जिसको कि वह आदेश, जिसके कि विरुद्ध अपील की गयी है, उस आदेश से प्रभावित हुए पक्षकार को संसूचित किया गया था, तीस दिन के भीतर पेश की जायेगी.

परंतु इस धारा के अधीन परिसीमाकाल की संगणना करने में उस आदेश की, जिसके कि विरुद्ध अपील की गयी है, प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिये अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जायेगा.

धारा 78 **पुनरीक्षण**

उप-धारा (1) राज्य सरकार या रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा किये गये किसी आवेदन पर किसी भी समय निम्नलिखित की वैधता या औचित्य के संबंध में या उसकी कार्यवाहियों की नियमितता के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए, उसकी वैधता या औचित्य के संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे—

(एक) किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा की गई जांच या कार्यवाही या पारित किया गया कोई आदेश;

(दो) किसी सोसाइटी या किसी सोसाइटी की समिति या उपसमिति के द्वारा की गई कोई कार्यवाही या विनिश्चय या संकल्प या पारित किया गया कोई आदेश;

(तीन) किसी सोसाइटी के किसी अधिकारी द्वारा की गई जांच या कार्यवाही या विनिश्चय या पारित किया गया कोई आदेश:

परन्तु, किसी भी आदेश या विनिश्चय या कार्यवाही आदि को पुनरीक्षण में तब तक फेरफारित या उलटा नहीं जाएगा, तब तक कि हितबद्ध पक्षकारों पर सूचना की तामील न कर दी गई हो, और उन्हें सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो.

उप-धारा (2) कोई भी आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो, और पूर्वोक्त कालावधि की संगणना करने में उक्त आदेश की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय छोड़ दिया जाएगा.

धारा 79 **कतिपय मामलों में कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा.**— इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी से या उसकी अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर—

(एक) किसी सहकारी बैंक के परिसमापन के लिए आदेश किया गया हो: या

(दो) समझौता या ठहराव की अथवा पुनर्निर्माण या पुनर्गठन या संविलियन की कोई स्कीम बनाई गई हो या प्रभावशील की गई हो; या

(तीन) किसी सहकारी बैंक की समिति के, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारी जाती हो, अतिष्ठान या निलम्बन के लिए आदेश दिया गया हो तथा उसके प्रबंध के लिए प्रभारी अधिकारी आदि की नियुक्ति की गई हो, वहां उसके विरुद्ध कोई अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन नहीं होगा या अनुज्ञेय नहीं होगा और भारतीय रिजर्व बैंक का ऐसा आदेश या मंजूरी या अध्यपेक्षा प्रश्नगत किये जाने के दायित्वाधीन नहीं होगी.

धारा 80 **पुनर्विलोकन.**— राज्य सरकार अथवा रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध पक्षकार का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर किसी भी मामले में अपने स्वयं के आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेंगे और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेंगे, जैसा कि वह न्याय संगत समझे:

परन्तु हितबद्ध पक्षकार द्वारा किया गया कोई भी आवेदन पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा और न ही किसी मामले को स्वप्रेरणा से लिया जाएगा, जब तक यथास्थिति राज्य सरकार या रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाए कि साक्ष्य की नई तथा महत्वपूर्ण ऐसी बात का पता लगा लिया गया है, जो कि सम्यक् तत्परता का प्रयोग करने के पश्चात् भी उनकी या आवेदक की जानकारी में नहीं थी या वह उसके द्वारा उस समय प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी, जबकि उसका आदेश किया गया था या यह कि कोई ऐसी भूल या गलती हुई है, जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट हो जाती है, या कि कोई अन्य पर्याप्त कारण रहा है:

परन्तु यह कि, किसी ऐसे आदेश में तब तक कोई परिवर्तन, संशोधन या उपान्तरण नहीं किया जाएगा या उसका तब तक पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा, जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों को उपसंजात होने के लिए तथा सुने जाने के लिए सूचना न दे दी गई हो:

परन्तु यह और कि, किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पत्र पर किसी आदेश का पुनर्विलोकन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह आवेदन उस आदेश के पारित किए जाने के नब्बे दिवस के भीतर न किया गया हो.

धारा 80-क **कतिपय मामलों में अपील प्राधिकारी द्वारा परिसीमाकाल का बढ़ाया जाना**—उन समस्त मामलों में, जिनमें इस अधिनियम के अधीन यह उपबंध किया गया है कि किसी भी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर फाईल की जा सकेगी, अपील प्राधिकारी ऐसी कालावधि का अवसान होने के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा. यदि अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का यह समाधान कर दे कि ऐसी कालावधि के भीतर अपील न करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था.

धारा 80-ख **मामलों का अन्तरण या प्रत्याहरण**— धारा 77 एवं 78 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों को विनिश्चय के लिए अपने अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी को, जो ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों को विनिश्चय करने के लिए सक्षम हो, अपनी स्वयं की फाइल में से अन्तरित कर सकेगा या वह किसी भी ऐसे अधिकारी से किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों को प्रत्याहृत कर सकेगा तथा ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों के संबंध में स्वयं कार्यवाही कर सकेगा या उन्हें अपने अधीनस्थ किसी अन्य ऐसे अधिकारी को, जो ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों को विनिश्चय करने के लिए सक्षम हो, निर्दिष्ट कर सकेगा.

धारा 80-ग **अन्तर्वर्ती आदेश करने की शक्ति**— जहां कोई अपील या पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन या कोई अन्य आवेदन इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या रजिस्ट्रार को किया गया हो, वहां यथास्थिति राज्य सरकार या रजिस्ट्रार, न्याय के उद्देश्यों को विफल होने से रोकने के लिए यथास्थिति अपील या पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के आवेदन-पत्र पर विनिश्चय लंबित रहने की अवधि में ऐसे अन्तर्वर्ती आदेश कर सकेगा, जो कि उसे न्यायसंगत एवं सुविधापूर्ण प्रतीत हो या ऐसे आदेश कर सकेगा, जो न्याय के उद्देश्यों के लिए या उसकी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हों.

धारा 80-घ **आदेशों के निष्पादन का रोका जाना**

उप-धारा (1) अधिकारी या प्राधिकारी जिसने कोई आदेश पारित किया हो या उसका पद उत्तरवर्ती, अपील या पुनरीक्षण के लिए विहित की गई कालावधि का अवसान होने के पूर्व, किसी भी समय, यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसे आदेश का निष्पादन उतने समय

तक के लिए रोक दिया जाये जो अपील या पुनरीक्षण फाइल करने तथा अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी से रोक आदेश (स्टे आर्डर) अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित हो.

उप-धारा (2) वह प्राधिकारी, जो धारा 77 या धारा 78 या धारा 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, यह निर्देश दे सकेगा कि उस आदेश का, जो अपील या पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के अधीन है, निष्पादन उतने समय तक के लिए रोक दिया जाए, जैसा कि वह उचित समझे.

उप-धारा (3) किसी आदेश का निष्पादन रोक दिए जाने का निर्देश देने वाला अधिकारी या प्राधिकारी ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा या ऐसी प्रतिभूति दिये जाने का आदेश दे सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे.

धारा 80-ङ **लंबित मामलों का अंतरण**— मूल अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के समक्ष छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रभावशील होने की तारीख पर लंबित प्रत्येक अपील या पुनरीक्षण या कोई अन्य कार्यवाही राज्य सरकार को अंतरित हो जाएगी.

धारा 80-च कोई अधिकारी या कोई प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन राज्य सरकार को प्रदत्त की गई ऐसी शक्तियों का जैसा कि राज्य सरकार विशेष या साधारण आदेश से प्रत्यायोजित होकर ऐसे क्षेत्रों के भीतर तथा ऐसे प्रकरणों में प्रयुक्त करेंगे, जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 95 **नियम बनाने की शक्ति.**

उप-धारा (3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.